न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सख्या 198/2015

1. दिलबागसिंह
2. केवलसिंह
3. जसवंतसिंह
4. बलदेवसिंह

पिसरान मोहरसिंह अकवाम राजपूत निवासीगण भैरोरिया तहसील देहरा जिला कागंडा हि.प्र. जरिये मु.आ. सन्तोष कुमार पुत्र मेहरसिंह, राजपूत नि. भैरोरिया तह0 तहसील देहरा जिला कांगडा हि.प्र.

5. सन्तोष कुमार पुत्र मेहरसिंह जाति राजपूत निवासी भैरोरिया तहसील देहरा जिला कांगड़ा हि.प्र. ।

— — अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घड़साना
2. रामचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 15 जी. डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्व आदेश

उपखंड अधिकारी घड़साना दिनांक 08.07.2015

श्री राजीव जग्गा अभिभाक अपीलार्थीगण

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

श्री परविन्द्र बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो. सं0 2

निर्णय दिनांक 19.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/ अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी घड़साना के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन कालोनी कंडीशन की शर्त संख्या 8(2) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि

19/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थीगण के पिता को चक 15 जीडी के मु.न. 186/17 की 25 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जिसके कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता है जो उपयोगी नहीं है एवं अन्य लोगों को अपनी भूमि में आने जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध है। अतः उक्त रास्ता को निरस्त कर प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जावे । प्रार्थना पत्र का जबाव अप्रार्थी ने पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 08.07.2015 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में स्वीकृत है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने उक्त रास्ता को निरस्त करने का प्रार्थना अधी.न्यायालय में पेश किया था जो अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है मौके पर रास्ता चालू हैं अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी घड़साना के निर्णय दिनांक 08.07.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें स्वीकृत रास्ता निरस्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो उनकी आराजी में दो रास्ते स्वीकृत होने की वजह से एक रास्ता खारिज का आदेश न करने के आदेश को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात रास्ते की उपादेयता बाबत तहसीलदार घड़साना से रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार घड़साना द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.11.2017 में अंकित किया है कि विचाराधीन अपील संख्या 198/2015 दिलबागसिंह बनाम सरकार के सम्बन्ध में चक 15 जी.डी. के प.न. 185/16, 185/24 व 185/17 में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है–

19/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

1. चक 15 जी.डी. के प.न. 185/16 का कि.न. 9/1 में 0.051, क., 10/1 में 0.114 क. = 0.165 है. गैर खातेदार व कि.न. 7/1 में 0.013 क., 8/1 में 0.025 क., 11 ता 13/0.759 क., 14/1 में 0.240 क., 15/1 में 0.190 क., = 1.227 है. क. खातेदार रकबा रिछपालसिंह, औकारसिंह, महेन्द्रसिंह पि. भगतराम पौ.बा.वि. के नाम से दर्जे रिकार्ड है व कि.न. 19 ता 22/1.012 कमांड, 23/2 में 0.126 क. = 0.126 क. कुल =1.138 है. क. रकबा इन्द्राज पुत्र कानाराम जाति जाट सा. 12 जी.डी. के नाम से खातेदार दर्ज है एवं कि.न. 16 ता 18/0.759 क. 23/1 में 0.127 क., 24, 25/0.506 क.= 1.392 है. क. खातेदार रकबा रामचन्द्र पुत्र रामकुमार कौम बिश्नोई सा. 15 जी. डी .के नाम से दर्ज रेकार्ड है।
2. चक 15 जी. डी. प.न. 185/24 का कि.न. 11 ता 25/2.960 क .मय खाला रकबा रामचन्द्र पुत्र रामकुमार कौम बिश्नोई सा. 15 जी. डी. के नाम से खातेदार दर्ज है।
3. चक 15 जी. डी. का प.न. 186/17 कि.न. 01/2 में 0.203 क., व खाला, 2/0.228 क.व खाला 0.025, 3/0.228 क.व खाला 0.025, 4/0.228 क.व खाला 0.025, 5/0.202 क.व खाला 0.025, कि.न. 7 ता 9/0.759 क., 10/2 में 0.228 क., 11/2 में 0.228 क., 12 ता 14/0.759 क., 15/0.228 क. व खाला 0.025, 16/0,228 क. व 0.025 खाला, 17 ता 19/0.759 क., 20/2 में 0,228 क., 21/2 में 0,202 क., 22/2 में 0.228 क.,23/2 में 0.228 क., 24/2 में 0.228 क., 25/2 में 0.203 क. व खाला 0.025 = कुल 6.074 है. क. मय खाला (क.5.823 है. व खाला 0.251 है.) रकबा दिलबागसिंह, केवलसिंह, सन्तोष कुमार, जसवंतसिंह बलदेवसिंह पि. मोहरसिंह ब.हि.ब. सा. भैरोरिया तह. देहरा पौ.बा.बि. खातेदार दर्ज है।
4. चक 15 जी. डी. के प.न. 186/17 में कि.न. 01/1 में 0.025, 10/1 में 0.025, 11/1 में 0.025, 20/1 में 0.025, 21/1 में 0.051, 22/1 में 0.025, 23/1 में 0.025, 24/1 में 0.025, 25/1 में 0.025 = 0.251 है.

19/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो कि मौके पर चालू है । चक 15 जी. डी. में दर्ज प.न. 185/16 व 185/24 का रकबा के काश्तकार अपने रकबे पर आने जाने हेतु प.न. 186/17 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में दर्ज व मौके पर उक्त चालू रास्ता को ही उपयोग में ला रहे है । इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प.न. 186/17 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में दर्ज रास्ता को निरस्त करने का अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायोचित नहीं है। तहसीलदार घड़साना की इस रिपोर्ट से सहमत होकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर